(132)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1357–पीबीआर/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–3–2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद, प्रकरण कमांक 49/अपील/2014–15

.....

श्रीराम पिता रामदीन रघुवंशी
निवासी ग्राम रावनपीपल तहसील सिवनी मालवा
जिला होशंगाबाद

..... आवेदक

विरूद्ध

महेश पिता रामनाथ अग्रवाल
निवासी ग्राम बावडिया भाउ तहसील सिवनी मालवा
जिला होशंगाबाद

..... अनावेदक

.....

श्री मेघदीप गौर, अभिभाषक–अनावेदक

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 15/3/18 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–3–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार सिवनीमालवा के समक्ष संहिता की धारा 250 के तहत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 188/20 रकबा 5.69 एकड़ में से रकबा 1.57 एकड़ पर आवेदक का अवैध कब्जा सीमांकन के दौरान पाया गया है जिसे हटाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 5–6–10 को आदेश पारित कर कब्जा हटाये जाने के आदेश दिये गये । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष

प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 19–3–2014 को आदेश पारित अपील अस्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–3–17 को आदेश पारित करते हुये अपील अस्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक पक्ष की ओर से सूचना उपंरात कोई उपस्थित नहीं हुआ इस कारण आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में उठाये गये आधारों पर विचार किया जा रहा है । आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अपर आयुक्त द्वारा बोलता हुआ आदेश पारित नहीं किया गया है ।

(2) तहसील न्यायालय सीमांकन के पूर्व चॉदे मिनारे की रिपोर्ट ग्राम पटवारी से आहुत नहीं की गई है इस प्रकार चॉदे व मिनारे की रिपोर्ट के अभाव में कोई भी सीमांकन नहीं किया जा सकता है ।

(3) तहसील न्यायालय द्वारा सीमांकन किये जाने संबंधी कोई भी सूचना आवेदक को नहीं दी गई है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के सीमांकन की कार्यवाही विधि के प्रावधानों के अनुरूप की गई है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है एवं सीमांकन विधिवत् किया गया है जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा स्थिर रखने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । इसलिये अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचना पत्र जारी किये गये हैं तथा सीमांकन प्रतिवेदन में आवेदक के हस्ताक्षर है जिसे प्रमाणित होता है कि आवेदक सीमांकन

के समय उपस्थित रहा है तथा नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक के स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 188/20 रकबा 5.69 एकड़ में से रकबा 1.57 एकड पर आवेदक द्वारा अवैध कब्जा किया गया है । अनावेदक की भूमि पर से आवेदक का अवैध कब्जा हटाये जाने के आदेश देने में तहसील न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । आवेदक द्वारा सिविल न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किये जाने पर सिविल न्यायालय द्वारा भी आवेदक का दावा निरस्त किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय के न्यायसंगत आदेश की पुष्टि करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है ।

इस संबंध में 1982 आर.एन.36 रामाधार विरूद्ध आनन्दस्वरूप व अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है –

> "धारा –50 – समवर्ती निष्कर्ष – अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं – पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये ।"

अतः उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–3–2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है !

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर